प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत
(समिति का गठन) नियमावली 2008
प्रवेश और फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश
प्राविधिक शिक्षा

संख्या– 443 /प्र0फी0नि0स0/ /2010
लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2010

आदेश

राज्य सरकार द्वारा गठित प्रवेश और फीस नियमन समिति के द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं के शुल्क निर्धारण की प्रकिया में जिन संस्थाओं की ओर से प्रस्ताव किये गये उन 218 अभियन्त्रण एवं व्यवसायिक संस्थाओं में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सत्र 2010–11 हेतु शिक्षण शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त अवशेष जिन संस्थानों ने प्रवेश और फीस नियमन समिति, द्वारा निर्धारित तिथि तक किन्ही कारणवश अपने प्रस्ताव प्रेषित नही किये थे, उन संस्थानों का भी पाठ्यक्रमवार शिक्षण शुल्क प्रवेश और फीस नियमन समिति के आदेश सं0 347/प्र0फी0नि0स0/2010 दिनांक 09.08.2010 द्वारा निर्धारित किया गया है। समिति द्वारा निर्धारित उक्त शुल्क शैक्षिक सत्र 2010–11 से आगामी दो वर्षो (कुल तीन वर्ष) अर्थात 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013 के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। जिसकी सूचना सम्बंधित संस्थाओं को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर दी गयी है एवं समिति की अधिकृत वेबसाइट www.afrcup.in पर भी प्रदर्शित कर दी गयी है।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा वर्ष 2010–11 के लिए संस्थाओं में चल रहें विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु उपरोक्तानुसार शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है। यह शिक्षण शुल्क सत्र 2010–2011, 2011–12 एवं 2012–13 में प्रवेशित छात्रों से लिया जाना प्रभावी होगा। इस प्रकार पूर्व से प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से उनके प्रवेश के वर्ष में निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जाना प्रभावी रहेगा। यह भी सूचित है कि यदि किसी संस्था द्वारा पूर्व से अध्ययनरत अर्थात

(द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के) छात्र–छात्राओं से शैक्षिक सत्र 2010–11 से तीन वर्ष के लिए निर्धारित शुल्क के अनुसार शुल्क लिया जाता है तो यह नियम विरूद्ध होगा, एवं इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

अतः उक्त की सूचना के साथ संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि संस्था स्तर पर उक्त निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(यू0 एस0 तोमर)	(अरविन्द नारायण मिश्र)	(वृन्दा सरूप)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
कुलसचिव,	विशेष सचिव, वित्त	प्रमुख सचिव,
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय,	उत्तर प्रदेश शासन	प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक/प्राचार्य, प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त निजी अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाएं।
2. कुल सचिव, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ/महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, नोयडा
3. अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/पिछडा वर्ग /अल्पसंख्यक विभाग।
5. सम्बन्धित जिला अधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डा0 वी0एस0 सिंह)
सचिव